न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 78/2015

अपीलांट

1. सुरेशकुमार पुत्र धनजी जाति पुरोहित निवासी तडवा तहसील व जिला जालोर
2. ललित कुमार पुत्र धनजी
3. राजेश कुमार पुत्र धनजी जातियान पुरोहित निवासीगण तडवा तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 39/2012 सुरेश कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि मौजा तडवा तहसील जालोर के खसरा नंबर 559, 560 594/1725 595, 596 आई हुई है। जिसके पुराने खसरा नंबर 215 थे। अपीलांट की उक्त आराजी पर अपीलांट के पिता के राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी एवं उनके देहान्त के पश्चात अपीलांट खातेदार थे। पुराने खसरा नंबर 215 से वर्तमान खसरा नंबर सेटलमेंट द्वारा अपीलांट की खातेदारी के बीच नया रास्ता अंकित किया जबकि पुराने खसरा नंबर 215 में अपीलांट की माठ पर पहले से दर्ज था तथा मौके पर जो रास्ता कदीमी से चल रहा है वो खसरा नबर 215 की माठ पर बना हुआ है। वर्तमान सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा त्रुटि से अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

की खातेदारी खसरा नंबर 595 में नक्शे में नया रास्ता बताकर खसरा नंबर 559 व 560 रकबा 0.28 हैक्टयर व 0.13 हैक्टेयर दो टुकडे अलग अलग बनाये गये। अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 188 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवार हल्का तडवा द्वारा रिपोर्ट मंगवाई गई कि मौका रिपोर्ट खसरा नंबर 559, 560 594/1725 595, 596 रकबा कुल 12.51 हैक्टेयर के संबध में रिपोर्ट पेश हुई तथा रिपोर्ट में भी पटवार हल्का द्वारा बताया गया कि सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से नया रास्ता बनाया गया है। पूर्व में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये थे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत किया। जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को बिना सूचित किये पत्रावली कैम्प आलासन में रखकर बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमांड की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी गै.मु रास्ता की भूमि है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। एवं भूमि की किस्म परिवर्तन का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त रास्ते की आराजी को खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर

adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 39/2012 सुरेश कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-बालोतरा